



Neutral Citation No. - 2026:AHC:53873

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या - 2534/2026

खुर्शीद उल्लाह

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता

:

शशांक त्रिपाठी

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्याय कक्ष संख्या-72

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री शशांक त्रिपाठी और राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री मनोज गौतम को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह वर्तमान आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 84/2025 में अग्रिम जमानत के लिए दायर किया गया है, जो मुकदमा अपराध की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 308(5) के तहत पुलिस थाना चमनगंज, जिला कानपुर नगर में दर्ज है। प्रार्थना है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अपीलार्थी दिनांक 04.01.1996 के कथित हिबा (दान विलेख) का मात्र एक मामूली गवाह है। आगे यह भी बताया गया है कि प्रथम सूचक के दादा ने संपत्ति इशाक खान के पक्ष में निष्पादित की थी, जिसने बदले में उक्त संपत्ति का हिबा सह-आरोपी इस्तियाक अहमद के पक्ष में निष्पादित किया था। यह भी बताया गया है कि अपीलार्थी और अन्य सह-आरोपियों तथा प्रथम सूचक के बीच एक दीवानी विवाद उत्पन्न हुआ था, और उक्त दीवानी मुकदमे में पहले ही विद्वान दीवानी न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जा चुका है, जिसमें विचाराधीन हिबा को मुकदमे की सुनवाई के दौरान वास्तविक पाया गया था। यह भी निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और जांच संस्था या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा। यह कहा गया है कि यदि अपीलार्थी को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और जांच में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।
4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. अपीलार्थी कथित हिबानामा का मामूली गवाह बताया गया है, जिसे कथित तौर पर सह-आरोपी इशितयाक अहमद के पिता ने उसके पक्ष में निष्पादित किया था। पक्षों के बीच दीवानी मुकदमा उक्त हिबानामा के आधार पर तय किया गया है और दीवानी मुकदमा सह-आरोपियों के पक्ष में तय किया गया है।

6. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

7. इस मामले में, अग्रिम जमानत के संबंध में स्थापित कानूनी सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, अपीलार्थी की भूमिका और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

8. अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. उपरोक्त मामले में अपराध के लिए अभियोक्ता **खुर्शीद उल्लाह** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे 2000 रुपये के व्यक्तिगत मुचलके पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। 50,000/- रुपये की अग्रिम जमानत राशि के साथ, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, दो जमानती भी इतनी ही राशि के होने चाहिए, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

(i) अपीलार्थी साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और संबंधित न्यायालय द्वारा छूट दिए जाने तक निर्धारित तिथि पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होगा;

(ii) अपीलार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) अपीलार्थी मुकदमे के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा;

(iv) अपीलार्थी संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

10. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष अपीलार्थी को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

17 मार्च, 2026

नीतू